कार्यालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)
प्रकरण सं. 17/2017 धारा - 91 LR Act निर्णयादि० 23/2/18

निर्णय
—x—

संक्षेप मे वृतान्त निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का सालवाडी ने इस न्यायालय को इस आशय की रिर्पोट की है कि सम्वत 2073 मे वाके ग्राम पीपलखेडा के आ०ख०नं. 456/0.06 किस्म जमीन वजंड पर श्री मोहनसिंह S/o अमरसिंह राजपूत नि० पीपलखेडा ने 0.06 हैक्टेयर नाजायज अतिक्रमण कर जोत लगा ली है। प्रकरण धारा 91 LR Act 1956 के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित आया। अप्रार्थी की ओर से श्री BC Jain ADV ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। ता० पेशी पर अप्रार्थी की ओर से जवाब नोटिस पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। तथा प्रा.पत्र प्रस्तुत कर आ०ख०नं. 456/0.06 हे० वाके ग्राम पीपलखेडा मे 0.06 रकबे को स्माल स्ट्रीपस के रूप मे रेग्यूलाईज करने बाबत निवेदन किया तथा बुजुर्गों के समय से ही उक्त रकबे को पुराना कब्जा होना बताया।

हमने पत्रावली का गौरपूर्वक अध्ययन किया। रि० पटवारी का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण साबित होता है। अतः अप्रार्थी को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाता है। तथा पैनल्टी 1.00 एकरूपये का 50 गुणा 50/- पचास रुपये शास्ती आरोपित की जाती है। तथा आरोपित राशि को मांग कायमी हेतु TRA/पटवारी हल्का को अहकाम जारी हो। अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने एवं खसरा वही मे अंकन करने हेतु व खसरा वही पेश करने हेतु अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया

23/2

तहसीलदार कठूमर (अलवर)